फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट- थाना कम्पिल

दिनांक - 02.08.2025

थाना कम्पिल पुलिस द्वारा हत्या के आरोप में वांछित 02 अभियुक्तों को आला कत्ल सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री संजय वर्मा के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कम्पिल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 123/2025 धारा 191(2)/115(2)/352/351(2)/333/118(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण 01. संतोष 2. नन्हे पुत्रगण सुग्रीव यादव निवासीगण नाजिर नगला थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

01. संतोष पुत्र सुग्रीव यादव निवासी नाजिर नगला थाना कम्पिल फतेहगढ़।

02. नन्हे पुत्रगण सुग्रीव यादव निवासी नाजिर नगला थाना कम्पिल फतेहगढ़।

घटना का विवरण - दिनांक 25.07.2025 वादी श्री महेन्द्र पाल सिंह पुत्र स्व0 रामसिंह निवासी ग्राम नाजिर नगला थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ द्वारा वादी व वादी के परिवारीजनो के साथ घर में घुसकर गाली गलौज, धारदार हथियार से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 123/2025 धारा 191(2)/115(2)/352/351(2)/333/118(1) बीएनएस बनाम 01. संतोष पुत्र सुग्रीव यादव निवासी नाजिर नगला थाना कम्पिल फतेहगढ़ आदि 06 नफर पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में मारपीट में घायल खेतपाल पुत्र स्व0 रामसिंह निवासी ग्राम नाजिर नगला थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने पर अभियोग उपरोक्त में धारा 191(3)/190/109(1)/103(1) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा अभियुक्तगण 01. संतोष पुत्र सुग्रीव यादव निवासी नाजिर नगला थाना कम्पिल फतेहगढ़ 02. नन्हे पुत्रगण सुग्रीव यादव निवासी नाजिर नगला थाना कम्पिल फतेहगढ़ को गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर आला कत्ल एक लाठी, दो डंडे व एक रक्त रंजित गड़ासा बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण - अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर दोनो अभियुक्तो नें अपनी गलती की माफी मांगते हुए अपने बयान अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

बरामदगी का विवरण -

1. एक लाठी 2. दो डंडे
3. एक गडासा रक्त रंजित

अभियुक्त संतोष उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 123/25 धारा धारा-191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(2)/333/118(1)/109(1)/103(1) बीएनएस थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त नन्हे उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 123/25 धारा धारा-191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(2)/333/118(1)/109(1)/103(1) बीएनएस थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना कम्पिल पुलिस टीम -

1. थानाध्यक्ष श्री विश्वनाथ आर्या
2. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार
3. आरक्षी पंकज गौतम
4. आरक्षी संजय कुमार
5. आरक्षी सुमित कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

दिनांक 02.08.2025

नाबालिगों को वाहन न सौंपे, नियम उल्लंघन पर की जायेगी कानूनी कार्यवाही।

पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के द्वारा जिले में सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने की दिशा में निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में यातायात पुलिस/थाना पुलिस द्वारा जनपद फतेहगढ़ में यातायात नियमो का पालन न करने वाले वाहन चालकों के दोपहिया/तीन पहिया व चार पहिया वाहनो का चालान किया गया साथ ही यातायात नियमो का पालन करने के सम्बन्ध में जागरुक किया गया। उक्त कार्यवाही के क्रम में यातायात पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान नाबालिग चालको के वाहन स्वामियों का 25000/- रूपये तक का किया गया चालान।

यदि कोई नाबालिग (किशोर) मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करता है, जैसे बिना लाइसेंस के वाहन चलाना या लापरवाही से वाहन चलाना आदि।

अभिभावक/स्वामी का दायित्व:-किशोर के अभिभावक या अपराध में प्रयुक्त वाहन के मालिक पर एमवी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

दंड:- कारावास: 03 वर्ष तक।

जुर्माना:- 25,000 रुपये तक।

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली मोहम्मदाबाद

दिनांक-02.08.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त राजू पुत्र छोटे सिंह निवासी नगला बाग कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतोहगढ़ मु0अ0स0 157/2007 वाद संख्या 463/2007 धारा 307,326,506 भा0द0वि0 कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए *दिनांक 02.08.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिध्द कर 10 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

एडीजीसी - श्री संजीव कुमार पाल

को0मो0 म0 हे0 का0 जीवन बेटी

पैरोकार हे0 का0 विजय नारायण